भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4330

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2026 को दिया जाना है।

27 फाल्गुन, 1947 (शक)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डाटा सुरक्षा

4330. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में डिजिटल सेवाओं, साइबर सुरक्षा तथा डाटा संरक्षण की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है:

(ख) यदि हाँ, तो उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डाटा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोई नई नीति/कानून लाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** सरकार ने देश में डिजिटल सेवाओं, साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("अधिनियम") डिजिटल वैयक्तिक डेटा के प्रसंस्करण को इस तरह से नियंत्रित करने वाला एक व्यापक ढांचा स्थापित करता है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है।

अधिनियम के तहत, व्यक्तिगत डेटा को केवल वैध उद्देश्य के लिए और या तो डेटा प्रिंसिपल की सहमति के आधार पर या कुछ वैध उपयोगों के लिए संसाधित किया जा सकता है। सहमति स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित, बिना शर्त और स्पष्ट होना आवश्यक है और एकत्र किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा और इसके प्रसंस्करण के उद्देश्य का वर्णन करने वाले नोटिस के साथ या उससे पहले होना चाहिए।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 ("नियम") को अधिसूचित किया है, जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत तंत्र स्थापित करते हैं, जिसमें सहमति नोटिस, उचित सुरक्षा उपाय, उल्लंघन अधिसूचना और डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं।

अधिनियम और नियमों द्वारा बनाया गया ढांचा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को लागू करने के लिए डेटा न्यासियों पर दायित्व डालता है। व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की स्थिति में, डेटा न्यासीय को भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के साथ-साथ प्रभावित डेटा प्रिंसिपल को निर्धारित तरीके से सूचित करना आवश्यक है।

अधिनियम भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान करता है, जिसे व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों की जांच करने, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और गैर-अनुपालन के मामलों में उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

तदनुसार, अधिनियम के अधिनियमन और नियमों की अधिसूचना के माध्यम से, सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में डेटा के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और नागरिक-केंद्रित ढांचा स्थापित किया है।
